संख्या-9/2018/643/53-2-18-2(119)/15

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेदकरनगर, बहराईच, गोण्डा ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक- 27 अप्रैल, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त के पत्रांक- 45/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ी0-सामान्य(229)/2018-19, दिनांक-18.04.2018 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रू0 4150.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा में रू0 2075.00 लाख (रू0 बीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल **संलग्नक'क'** के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों के निर्वतन पर रखे जाने कीसहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(3) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाते/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दुग्ध व्यवसाय को सुदृढ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद व्यय में इसका उपयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) अगली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनावार /जनपदवार एव जिला योजना समिति से परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-04-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला-योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) "** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30 मार्च, 2018 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-9/2018/643(1)/53-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
13- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
14- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
15- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।